



भाग ब
राजस्व-प्रक्षेत्र



अध्याय-IV

सामान्य

अध्याय—IV सामान्य

4.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

4.1.1 वर्ष 2015–20 के दौरान बिहार सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर एवं कर-भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की कुल प्राप्तियों में राज्य को समुनदेशित हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 4.1 में वर्णित है।

तालिका 4.1: प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1.	राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व					
	• कर राजस्व	25,449.18	23,742.26	23,136.49	29,408.14	30,157.98
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	22.65	(-) 6.71	(-) 2.55	27.11	2.55
	• कर-भिन्न राजस्व	2,185.64	2,403.11	3,506.74	4,130.56	3,699.60
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	40.29	9.95	45.93	17.79	(-) 10.43
	कुल	27,634.82	26,145.37	26,643.23	33,538.70	33,857.58
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा	48,922.68	58,880.59	65,083.38	73,603.13	63,406.33 ¹⁸⁴
	• सहायता अनुदान ¹⁸⁵	19,565.60	20,559.02	25,720.13	24,651.62	26,968.62 ¹⁸⁶
	कुल	68,488.28	79,439.61	90,803.51	98,254.75	90,374.95
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)	96,123.10	1,05,584.98	1,17,446.74	1,31,793.45	1,24,232.53
4.	3 से 1 की प्रतिशतता	29	25	23	25	27
5.	कुल राजस्व प्राप्तियों से कर राजस्व की प्रतिशतता	26	22	20	22	24

(स्रोत : वित्त लेखा, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2015–20 के दौरान कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 8.61 प्रतिशत एवं 20.71 प्रतिशत था।


चौदहवें वित्त आयोग के अनुशांसाओं के कार्यान्वयन (2015–16 से) के पश्चात केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत (32 से 42 प्रतिशत) बढ़ गया।

¹⁸⁴ पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2019–20 के वित्त लेखा में विवरणी संख्या-14-लघु शीर्ष-वार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष-0005 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (₹17,992.97 करोड़), 0008- एकीकृत माल एवं सेवा कर (₹0.00 करोड़), 0020-निगम कर (₹21,618.94 करोड़), 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹16,939.90 करोड़), 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹0.00 करोड़), 0032- सम्पत्ति पर कर (₹0 95 करोड़), 0037-सीमा शुल्क (₹4,019.07 करोड़), 0038-संघीय उत्पाद शुल्क (₹2,794.34 करोड़), 0044-सेवा कर (₹0.00 करोड़) एवं 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹40.16 करोड़) के अन्तर्गत लघु शीर्ष 901-निवल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा।

¹⁸⁵ केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्य/विधान सभा वाले केन्द्रशासित प्रदेश को अन्य स्थानांतरण/अनुदान (भारत सरकार से प्राप्त जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति भी शामिल है)।

¹⁸⁶ माल एवं सेवा कर लागू होने के कारण ₹3,524.78 करोड़ के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति शामिल है।

वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के राजस्व का ब्योरा चार्ट सं0 4.1 में दिया गया है:



4.1.2 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर राजस्वों का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: कर-राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	निम्न की तुलना में वर्ष 2019-20 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/ ह्रास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2019-20 के बजट अनुमान	2018-19 की वास्तविकी
1.	राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	0.00 6,746.96	15,000.00 15,288.06	17,812.00 15,800.53	(-) 11.29	3.35
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,025.18 10,603.40	14,021.33 11,873.51	24,400.00 8,298.10	7,890.00 6,584.24	7,150.00 6,121.43	(-)14.39	(-)7.03
3.	माल एवं यात्रियों पर कर ¹⁸⁷	5,146.88 6,087.12	7,211.96 6,245.62	0.00 1,644.85	0.00 398.74	50.00 22.86	(-)54.28	(-) 94.27
4.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	45.43 69.36	88.90 81.08	0.01 20.51	0.02 1.16	(-) 0.01 14.33	1,43,400	1,135.34
उप-कुल (1, 2, 3 और 4)		21,217.49 16,759.88	21,322.19 18,200.21	24,400.01 16,710.42	22,890.02 22,272.20	25,011.99 21,959.15	(-)12.21	(-)1.41
5.	राज्य उत्पाद ¹⁸⁸	4,000.00 3,141.75	2,100.00 29.66	0.00 (-) 3.43	0.00 (-) 9.63	0.00 (-) 4.14	-	57.01
6.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	4,000.00 3,408.57	3,800.00 2,981.95	4,600.00 3,725.66	4,700.00 4,188.61	4,700.00 4,660.98	(-) 0.83	11.28
7.	वाहनों पर कर	1,200.00 1,081.22	1,500.00 1,256.67	1,800.00 1,599.51	2,000.00 2,085.94	2,500.00 2,712.75	8.51	30.05
8.	भू-राजस्व	300.00 695.15	330.00 971.12	600.00 778.65	1,000.00 476.80	1,100.00 275.28	(-) 74.97	(-) 42.27
9.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	102.50 297.99	590.04 223.90	501.09 239.16	310.00 269.17	350.00 439.54	25.58	63.29
10.	आय एवं व्यय पर अन्य कर-पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	55.00 64.55	88.03 78.75	100.00 86.52	102.00 125.05	138.00 114.42	(-) 17.09	(-) 8.50
कुल		30,874.99 25,449.11	29,730.26 23,742.26	32,001.10 23,136.49	31,002.02 29,408.14	33,799.99 30,157.98	(-) 10.78	2.55

(स्रोत : वित्त लेखा, बिहार सरकार और राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ)

¹⁸⁷ 2019-20 की अवधि के दौरान वस्तु एवं यात्री पर कर के अन्तर्गत सभी प्राप्तियाँ प्रवेश कर से है, जिसे 1.7.2017 से हटा दिया गया एवं जी.एस.टी. में सम्मिलित किया गया।

¹⁸⁸ बिहार में अप्रैल 2016 से शराब के बिक्री पर रोक लगा दिया गया है।

वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के कर राजस्व का ब्योरा चार्ट सं०: 4.2 में दिया गया है:



तालिका 4.2 से यह परिलक्षित होता है कि 2019-20 के दौरान कर राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविकी में काफी भिन्नताएँ थी जो यह दर्शाता है कि बजट को वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

भिन्नताओं के कारणों को नीचे वर्णित किया गया है –

वाणिज्य कर¹⁸⁹ : विभाग ने बताया (जुलाई 2021) कि वर्ष 2019-20 के दौरान बजट अनुमान के सापेक्ष बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं माल एवं यात्री पर कर के संग्रहण में कमी का मुख्य कारण कर विवाद के एकमुश्त बंदोबस्त योजना का लागू होना था जिसके तहत वास्तविक बकाये का निपटारा निर्धारित कर के 35 प्रतिशत एवं ब्याज एवं शास्ति के 10 प्रतिशत भुगतान कर किया गया।

भू-राजस्व : लेखा परीक्षा ने पाया कि 2018-19 के वास्तविक संग्रह की तुलना में 2019-20 के दौरान भू-राजस्व में ₹201.52 करोड़ (42.27 प्रतिशत) की कमी का मुख्य कारण स्थापना प्रभार¹⁹⁰ की दर में की गई कमी थी।

4.1.3 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर-भिन्न राजस्वों का विवरण तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

¹⁸⁹ वाणिज्य कर में राज्य माल एवं सेवा कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर एवं वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित हैं।

¹⁹⁰ स्थापना प्रभार का दर 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच था जिसे संशोधित कर 27.06.2018 के प्रभाव से 2 प्रतिशत किया गया।

तालिका 4.3: कर-भिन्न राजस्व का विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	निम्न की तुलना में वर्ष 2019-20 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2019-20 के बजट अनुमान	2018-19 की वास्तविकी
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,000.00 971.34	1,100.00 997.60	1,350.00 1,082.67	1,600.00 1,560.65	1,600.00 1,572.07	(-) 1.75	(+) 0.73
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	312.13 583.66	365.78 939.91	619.25 1,577.24	2,187.39 1,371.94	2,293.84 1,416.48	(-) 38.25	(+) 3.25
3.	पुलिस	28.93 66.05	31.74 42.16	41.53 86.04	46.19 30.41	52.50 96.31	(+) 83.45	(+) 216.71
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	51.25 72.61	23.35 99.88	256.32 25.84	20.10 46.80	22.62 137.39	(+) 507.38	(+) 193.57
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ ¹⁹¹	1,988.80 491.98	819.87 323.56	567.21 734.95	592.21 1,120.76	837.51 477.35	(-) 43.00	(-) 57.41
	कुल प्राप्तियाँ	2,185.64	2,403.11	3,506.74	4,130.56	3,699.60		

स्रोत: वित्त लेखा बिहार सरकार के अनुसार वास्तविक प्राप्ति एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के विवरणी के अनुसार बजट अनुमान)

¹⁹¹ अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 2019-20 के दौरान निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ शामिल हैं: सड़क तथा सेतु (₹82.53 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹47.54 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹24.96 करोड़), वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹20.33 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹17.13 करोड़), लोक सेवा आयोग (₹70.08 करोड़), अन्य आर्थिक सेवाएँ (₹25.36 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली (₹1.64 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹13.12 करोड़), वृहत सिंचाई (₹12.64 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹11.68 करोड़), श्रम रोजगार एवं कौशल विकास (₹11.28 करोड़), जेल (₹24.06 करोड़), मतस्य पालन (₹14.28 करोड़), विविध सामान्य सेवाएँ (₹3.67 करोड़), जलापूर्ति तथा सफाई (₹37.38 करोड़), आवास (₹4.05 करोड़), शहरी विकास (₹4.80 करोड़), सूचना तथा प्रचार (₹0.24 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹0.17 करोड़), पशुपालन (₹0.70 करोड़), सहकारिता (₹2.36 करोड़), भूमि सुधार (₹0.13 करोड़), लघु सिंचाई (₹17.69 करोड़), नागर विमानन (₹1.95 करोड़), सड़क परिवहन (₹0.20 करोड़), पर्यटन (₹2.35 करोड़), ग्राम तथा लघु उद्योग (₹0.08 करोड़), उद्योग (₹14.64 करोड़), सिविल आपूर्ति (₹0.02 करोड़), लोक कार्य (₹8.60 करोड़), लेखन सामग्री एवं छपाई (₹0.04 करोड़) एवं लाभांश एवं लाभ (₹1.62 करोड़)।

2019-20 में राज्य के कर-भिन्न राजस्व का ब्योरा चार्ट सं. 4.3 में दिया गया है।



व्यापक भिन्नताओं के कारणों की चर्चा नीचे की गई है:-

पुलिस प्राप्तियाँ: लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-19 की वास्तविक प्राप्तियों के मुकाबले 2019-20 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण मुख्यरूप से फीस, जुर्माना एवं जब्ती के तहत अधिक प्राप्ति था।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ: लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 के दौरान बजट अनुमानों के तुलना में वास्तविक प्राप्ति में 507.38 प्रतिशत के वृद्धि का मुख्य कारण चुनाव उप शीर्ष के तहत प्राप्ति में ₹116.15 करोड़ की वृद्धि था।

4.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को बकाया राजस्व ₹4,584.73 करोड़ था जिसमें से ₹1,357.78 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जिसका ब्यौरा तालिका 4.4 में वर्णित है।

तालिका 4.4: राजस्व के बकाये

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व	31 मार्च 2020 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2020 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बित मामलों की अवस्थाएँ
1.	बिक्री, ब्यापार आदि पर कर	3,321.86	1,082.42	₹3,321.86 करोड़ में से ₹283.65 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹599.93 करोड़ एवं ₹595.45 करोड़ की वसूली क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 3.73 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹22.15 करोड़ को बट्टे खाते में डालना संभावित था एवं ₹1,816.95 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।

क्र. सं.	राजस्व	31 मार्च 2020 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2020 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बित मामलों की अवस्थाएँ
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	370.41	33.89	₹370.41 करोड़ में से ₹24.08 लाख के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे, ₹269.88 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी तथा ₹100.29 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	0.20	0.19	₹0.20 करोड़ में से ₹5.61 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी एवं ₹14.15 लाख अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
4.	वाहनों पर कर	187.07	अप्राप्त	परिवहन विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये के अवस्थाओं को भी नहीं बताया।
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	4.10	2.27	₹4.10 करोड़ में से ₹1.57 करोड़ के माँग के लिए बकायें भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गये थे एवं ₹2.53 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
6.	भू-राजस्व	256.96	अप्राप्त	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये के अवस्थाओं को भी नहीं बताया।
7.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	30.61	3.51	₹6.29 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे
8.	राज्य उत्पाद	53.19	17.38	₹53.19 करोड़ में से ₹42.73 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹4.20 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी, ₹0.13 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने एवं आवेदनों के सुधार/पुनरीक्षण के कारण रोकी गयी थी, ₹0.36 करोड़ को बट्टे खाते में डाला जाना था ₹5.77 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
9.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	360.33	218.12	₹360.33 करोड़ के कुल बकाये के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गये थे।
कुल		4,584.73	1,357.78	

(स्रोत : विभागों से प्राप्त सूचनाएँ)

4.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग के अनुदेशों के हस्तक (1998) के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इसके विधान सभा के समक्ष उपस्थापित होने के दो महीने के भीतर कार्रवाई शुरू करनी है तथा उसके उपरांत लोक लेखा समिति के विचारार्थ सरकार व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेगी। फिर भी, राज्य विधान मंडल के समक्ष जुलाई 2010 तथा मार्च 2020 के बीच 2008-09 से 2017-18 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित 252 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विभागों के उत्तर) पाँच माह से

अधिक के विलंब से समर्पित किया गया। सितम्बर 2020 को, विभिन्न विभागों¹⁹² से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का वर्णन तालिका-4.5 में दिया गया है।

तालिका-4.5: लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2009	23.07.2010	29	26	3
2	31 मार्च 2010	20.07.2011	26	26	0
3	31 मार्च 2011	06.08.2012	35	35	0
4	31 मार्च 2012	08.01.2013	38	36	2
5	31 मार्च 2013	21.02.2014	41	39	2
6	31 मार्च 2014	24.12.2014	44	39	5
7	31 मार्च 2015	18.03.2016	39	34	5
8	31 मार्च 2016	27.03.2017	42	19	23
9	31 मार्च 2017	29.11.2018	36	6	30
10	31 मार्च 2018	16.03.2020	28	0	28
कुल			358	260	98

यह पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अवलोकनों पर राजस्व की वसूली हेतु यद्यपि विभागों ने कार्रवाई शुरू किया था, परन्तु लगातार होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए विभागों द्वारा किसी भी स्तर पर सुधारात्मक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2008-09 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 71 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा किया तथा ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित वाणिज्य-कर विभाग, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित 54 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ दिए, जिन पर विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार (फरवरी 2021) को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व-व्याख्यात्मक कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ एवं लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को समय पर समर्पित करने हेतु अनुरोध किया था। लेखापरीक्षा के अनुरोध के आलोक में वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा अवलोकनों एवं लोकलेखा समिति के सिफारिशों पर स्व-व्याख्यात्मक कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ जमा करने हेतु निर्देश (मार्च 2021) जारी किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए त्रुटियों और प्रणाली दोषों तथा राजस्व के रिसाव को बंद करने के लिए, कार्रवाई प्रारंभ कर सकती हैं, तथा यह भी सुनिश्चित करे कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सभी विभाग तत्परता से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ तैयार करें।

4.4 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

4.4.1 लंबित जाँच प्रतिवेदनों की स्थिति

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करता है साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई

¹⁹² वाणिज्य कर (61 कंडिकाएँ); मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (छ: कंडिकाएँ); परिवहन (पाँच कंडिकाएँ) तथा राजस्व एवं भूमि सुधार (20 कंडिकाएँ) एवं खनन एवं भूतत्व (छ: कंडिकाएँ)।

और इसके अनुश्रवण हेतु उनके उच्च अधिकारियों को इनकी प्रतियाँ निर्गत की जाती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुख एवं सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। 2010-11 से 2019-20 के दौरान निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पता चला कि मार्च 2020 के अंत तक 2,808 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 23,840 कंडिकाएँ लंबित थे। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में संभावित वसूली योग्य राजस्व ₹31,683.24 करोड़ तक है जबकि राज्य का 2019-20 का संपूर्ण राजस्व संग्रहण ₹33,857.59 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्णन तालिका-4.6 में दिया गया है।

तालिका-4.6: विभाग-वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	426	10,100	12,620.08
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	362	1,594	1,164.75
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	840	5,449	11,078.23
4	परिवहन	वाहनों पर कर	380	2,987	2,123.76
5	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	398	1,282	1,261.88
6	खान एवं भूतत्व	खनन प्राप्ति	402	2,428	3,434.54
कुल			2,808	23,840	31,683.24

यहाँ तक कि 2010-11 और उससे आगे निर्गत किये गये ₹19,149.15 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,038 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,355 लेखापरीक्षा अवलोकन) के प्रथम उत्तर, जो कि लेखा परीक्षा एव लेखा विनियमन 2007 के विनियमन 197 के अनुसार कार्यालयों के प्रधानों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्राप्त होने थे, प्राप्त नहीं हुए। विभागवार विवरण तालिका-4.7 में दिया गया है।

तालिका-4.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण जिनके प्रथम उत्तर लंबित है

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य कर	बिक्री व्यापार आदि पर कर	120	3,889	5,946.61
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2.	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	65	358	183.82
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	467	3,414	9,408.88
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	184	1,604	1,537.92
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	117	415	890.71
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	85	675	1,181.21

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
कुल			1,038	10,355	19,149.15

अनुशंसा:

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली आरंभ कर सकती है कि विभागीय अधिकारी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन तत्परता से करें, सुधारात्मक कार्रवाई करें तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का शीघ्र निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा समिति के बैठक के माध्यम से लेखापरीक्षा के साथ निकटता से कार्य करें।

4.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू-राजस्व एवं खनिज प्राप्तियों से संबंधित राज्य सरकार के छः विभागों के 1,350 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 70 (5.19 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच किया।

लेखापरीक्षा ने 1,265 मामलों में कुल ₹4,417.05 करोड़ के अविनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया जिसे निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागों को सूचित किया गया। संबंधित विभागों ने 1,318 मामलों में ₹1,249.81 करोड़ के अविनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच) जिसमें से ₹329.56 करोड़ के 151 मामले 2019-20 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने 207 मामलों में ₹16.08 करोड़ का वसूली प्रतिवेदित (अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच) किया।

4.6 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में सात कंडिकाएँ शामिल हैं। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹74.22 करोड़ है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹69.70 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2021 तक)। लेखापरीक्षा अवलोकनों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

बताई गई त्रुटियाँ/चूक का आधार नमूना लेखापरीक्षा है। इसलिए, विभाग/सरकार को सभी इकाईयों का यह जाँच करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण करना चाहिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूक अन्य जगह भी मौजूद हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके।

